Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **मेघराज वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **083** सन् **2024**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2025	पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता सीएम जणवा ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। वकील प्रार्थी प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर निवेदन किया कि अप्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार निर्धारित मुआवजा राशि का चैक प्राप्त करना चाहते है। अतः उक्त मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी को दिलवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी ने निवेदन किया गया है कि प्रार्थी कम्पनी मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का चिंतन–मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 207/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम मेघराज वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 05.09.2023 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 62,93,238/– अक्षरे बासठ लाख तिरानवे हजार दौ सौ अडतीस रूपये मात्र का अप्रार्थी संख्या 1 को हक हिस्से अनुसार निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करना चाहती है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 207/2021 (रे. वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम मेघराज वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 05.09.2023 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित राशि का भुगतान दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2024/1470 दिनांक 13.08.2024 प्रार्थी कंपनी की और से प्रस्तुत	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चैक संख्या 019402 तादादी रूपये 62,93,238/– अक्षरे बासठ लाख तिरानवे हजार दौ सौ अडतीस रूपये मात्र का जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर जारी किया गया है तहसीलदार निम्बाहेडा को अप्रार्थी को वास्ते भुगतान भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है, तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करें। हस्तगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु सहमति प्राप्त हो चुकी है जिससे पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 10.06.2025	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official